

दस साल में दस लाख युवा बनेंगे कारोबारी

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में दिया जाएगा ब्याज मुक्त ऋण

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ: राजधानी समेत प्रदेश के अन्य जिलों के दस लाख युवाओं को आगामी दस वर्षों में उद्यमी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ब्याज मुक्त ऋण देकर युवाओं को कारोबार शुरू करवाया जाएगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए अभ्यर्थी ऑन लाइन आवेदन कर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।

यूपी दिवस के मौके पर 24 जनवरी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का आगाज होगा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ 25,000 लाभार्थियों



को ऋण वितरित कर अभियान की शुरुआत करेंगे। कैसरबाग स्थित निर्यात भवन सभागार में शुक्रवार को सहयोगी बैंकों के राज्य प्रमुखों और एसएलबीसी के अधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम व निर्यात प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें अभियान के मिशन निदेशक, एनआईसी व संबंधित सहयोगी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बैठक में तय किया गया कि बैंकों को अभियान की सफलता के लिए नोडल अधिकारी रखने होंगे।

आठवीं पास होना जरूरी

जिला उद्योग केंद्रों और बैंकों के अधिकारी लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिलवाएंगे। अभियान में ट्रेड युवा शामिल हो सकेंगे। इसके लिए आठवीं पास होना जरूरी है। अभ्यर्थी की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। युवाओं को बिना ब्याज, बिना गारंटी ऋण दिया जाएगा। अभियान के बारे में वेबसाइट <https://msme.up.gov.in/> पर ऑन-लाइन आवेदन करना होगा। इस पोर्टल पर करीब 400 परियोजना रिपोर्ट और 600 विजनेस आइडिया उपलब्ध हैं।